न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री उम्मेदसिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 9/2021/राजस्व वाद

उनवान

1. राजेश कुमार पि. रामगोपाल जाति कुल्मी नि.ओसाव तहसील सुनेल
2. अशोक कुमार पि. रामगोपाल जाति कुल्मी नि.ओसाव तहसील सुनेल

– वादीगण

बनाम

1. रामगोपाल पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि.ओसाव तहसील सुनेल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल तहसील सुनेल
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 48, 49, 53, 88, 91, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री सुभाष दांगी

वकील प्रतिवादीगण – श्री कालूराम मेघवाल

निर्णय **दिनांक :** 24/02/2021

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा ग्राम ओसाव तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 373 आराजी किता 12 रकबा 8.0179 हेक्टर एवं ग्राम बोरबंन्द तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 117 आराजी किता 2 रकबा 2.1752 हेक्टर तथा ग्राम सिरपोई गुजरान तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 185 आराजी किता 1 रकबा 2.5546 हेक्टर भूमि के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा **48,** 49, 53, 88, 91, 209 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी है जो प्रतिवादी सं. 1 के खाते वादीगण के दादाजी जगन्नाथ से आई है। इस कारण वादीगण का उक्त आराजियात में जन्म से हक व हिस्सा निहित है जिस पर वे खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है। मौके पर उक्त आराजियात का पारिवारिक बंटवारा किया हुआ है जिस पर वादीगण काबिज काश्त है। सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी सं. 1 के खाते में दर्ज होने से आराजी के विकास करने एवं ऋण लेने आदि में

COURT 2021

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.03.04 15:02:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

परेशानी का सामना करना पडता है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा उक्त आराजियात को वादीगण के नाम दर्ज करने से मना करने के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर ग्राम ओसाव तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 373 आराजी किता 12 रकबा 8.0179 हेक्टर एवं ग्राम बोरबंन्द तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 117 आराजी किता 2 रकबा 2.1752 हेक्टर तथा ग्राम सिरपोई गुजरान तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 185 आराजी किता 1 रकबा 2.5546 हेक्टर भूमि का वादीगण को उनके हक हिस्से अनुसार खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में बंटवारा दर्ज किया जावे। वाद पत्र के साथ ग्राम ओसाव जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 373 , ग्राम बोरबंन्द तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 117 तथा ग्राम सिरपोई गुजरान तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 185 की नकले प्रस्तुत की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री कालूराम मेघवाल ने वकालातनामा प्रस्तुत कर स्वीकारात्मक जवाब दावा प्रस्तुत किया। दौराने वाद उभयपक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर आपसी राजीनामा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद वादीगण डिक्री करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

वाद पत्र, जवाब दावा एवं राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं अभिभाषकगण द्वारा की बहस पर गौर किया गया।

आदेश

प्रस्तुत वाद में यह पाया कि ग्राम ओसाव तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 373 आराजी किता 12 रकबा 8.0179 हेक्टर एवं ग्राम बोरबंन्द तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 117 आराजी किता 2 रकबा 2.1752 हेक्टर तथा ग्राम सिरपोई गुजरान तहसील रायपुर की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 185 आराजी किता 1 रकबा 2.5546 हेक्टर भूमि प्रतिवादी सं. 1 रामगोपाल पि. जगन्नाथ कुल्मी की खातेदारी की है एवं वादीगण उसके पुत्र होकर वैध वारीसान है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम में पिता की सम्पत्ति में उसके पुत्रों का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 की आपसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.03.04 15:02:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned by TapScanner

सहमति है एवं प्रस्तुत शपथ पत्र अनुसार वादग्रस्त आराजी के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है। अतः प्रस्तुत वाद में वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम ओसाव की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 373 आराजी किता 12 रकबा 8.0179 हेक्टर एवं ग्राम बोरबंन्द की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 117 आराजी किता 2 रकबा 2.1752 हेक्टर तथा ग्राम सिरपोई गुजरान की जमाबंदी सं. 2073–76 के खाता सं. 185 आराजी किता 1 रकबा 2.5546 हेक्टर भूमि वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।

पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(उम्मेदसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.03.04 15:02:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

बइजलास - श्री उम्मेदसिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 9/2021/राजस्व वाद

उनवान

1. राजेश कुमार पि. रामगोपाल जाति कुल्मी नि.ओसाव तहसील सुनेल
2. अशोक कुमार पि. रामगोपाल जाति कुल्मी नि.ओसाव तहसील सुनेल

- वादीगण

बनाम

1. रामगोपाल पि. जगन्नाथ जाति कुल्मी नि.ओसाव तहसील सुनेल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल तहसील सुनेल
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 48, 49, 53, 88, 91, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति -- वकील वादीगण - श्री सुभाष दांगी

वकील प्रतिवादीगण - श्री कालूराम मेघवाल

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद में वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम ओसाव की जमाबंदी सं. 2074-77 के खाता सं. 373 आराजी किता 12 रकबा 8.0179 हेक्टर एवं ग्राम बोरबंन्द की जमाबंदी सं. 2074-77 के खाता सं. 117 आराजी किता 2 रकबा 2.1752 हेक्टर तथा ग्राम सिरपोई गुजरान की जमाबंदी सं. 2073-76 के खाता सं. 185 आराजी किता 1 रकबा 2.5546 हेक्टर भूमि वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

COURT 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.03.04 15:02:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

मिस्ल .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह .... सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24/02/2021 को जारी की गई।

(उम्मेदसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ (राज.)
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प तजक सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.03.04 15:02:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner